तारांकित प्रश्न संख्या ५८१ के उत्तर की शुद्धि के बारे में वक्तव्य

†**खाद्य और कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : श्रीमान्, पंजाब में चीनी के कारखानों के बारे में श्री अजित सिंह सरहदी के २८ फरवरी, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ५८१ के सिलसिले में सरदार इकबाल सिंह द्वारा पूछे गये एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के बारे में मैं ने कहा था कि मौरिन्डा चीनी के कारखाने की अनुज्ञप्ति तीन कारणों से रद्द कर दी गई थी । मुझे खेद है कि यह ठीक नहीं है ।

सरदार इकबाल सिंह के अनुपूरक प्रश्न का ठीक उत्तर यह है :—

"मौरिन्डा जिला अम्बाला में चीनी के सहकारी कारखाने की स्थापना के लिये अनुज्ञप्ति वापस नहीं की गई है ।"

अनुदानों की मांगें—जारी

वैदेशिक कार्य मंत्रालय

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा वैदेशिक कार्य मंत्रालय के अनुदानों की मांग संख्या २२ से २६ और ११० पर चर्चा करेगी । इसके लिये पांच घंटे निर्धारित किये गये हैं । जो माननीय सदस्य अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहें वे १५ मिनट के अन्दर उनकी संख्या सभा-पटल पर दे दें ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : श्रीमान्, मैं वैदेशिक कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगें उपस्थापित करता हूं । ऐसा करते हुए मैं सभा का ध्यान इस ओर विशेषतया आकर्षित कराना चाहता हूं कि यह मंत्रालय केवल वैदेशिक कार्यों से ही सम्बन्ध नहीं रखता बल्कि कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातों से भी संबंधित है जो कि घरेलू कही जा सकती हैं । यदि व्यय की दृष्टि से हम गत वर्ष के आंकड़े देखें—यह सब उस पुस्तिका में दिया गया है जो कि संसद् सदस्यों के लिये तैयार की गई है—तो हम देखेंगे कि मोटे तौर पर व्यय १७७२ लाख था । इसमें से ११६७ लाख रुपये का व्यय वैदेशिक कार्यों से अतिरिक्त बातों पर हुआ था जैसे आदिम जाति क्षेत्र, नेफा, नागा पहाड़ियां व तुएनसांग क्षेत्र । फिर आसाम राइफल्स पर काफी रुपया व्यय हुआ क्योंकि इसका काम सीधे इसी मंत्रालय से सम्बन्धित है और स्पष्ट है कि इस पर ज्यादा व्यय होता है । इसके बाद पांडिचेरी है । फिर बहुत से अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को अंशदान देना होता है और इन्डोचीन में अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध विराम तथा निरीक्षक कमीशनों पर तथा सीमांकन संबंधी कार्यों आदि पर भी काफी व्यय होता है । तो मेरे कहने का मतलब यह है कि पुनरीक्षित प्राक्कलन के अनुसार पिछले वर्ष सिर्फ वैदेशिक कार्यों पर ५०५ लाख रुपये का ही व्यय हुआ है ।

जो हमारे मिशन बाहर हैं उनके काम के बारे में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता । इन का मूल्यांकन करना तनिक कठिन कार्य है । किन्तु हम व्यय के आधार पर तुलना कर सकते हैं । व्यय की तुलना आसान है और काम की कठिन । यदि हम अपनी तुलना किसी भी महत्वपूर्ण देश से करें तो हम देखेंगे कि हमारा व्यय बहुत ही कम है । मेरा यह आशय नहीं कि हम जो भी व्यय कर रहे हैं वह बिल्कुल ही ठीक ठीक कर रहे हैं । मैं यह नहीं

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

कहता कि कोई फजूलखर्ची नहीं है और व्यय को कम करने की गुंजाइश ही नहीं है। कम करने की गुंजाइश है। फजूल खर्ची भी हो जाती है, यदि कोई सावधान न रहे। किन्तु किसी भी देश से यदि तुलना की जाये तो पता लगेगा कि हमारे वैदेशिक कार्यों पर कम ही खर्च होता है।

इस सम्बन्ध में मैं यह भी कह दूं कि मैं अधिक वेतनों का पक्ष नहीं ले रहा या उनको उचित नहीं ठहरा रहा। वैसे तो हमारे बाहर गये कर्मचारियों को बहुत कम मिलता है, और दूसरे देश अपने राजदूतों और कार्यालयों के कर्मचारियों को कहीं ज्यादा वेतन देते हैं। यहां भी मैं सामान्य रूप से बात नहीं कहता। हो सकता है कि जो कुछ हम देते हों वह प्रायः हमारे राजदूतालयों को उस स्तर पर रखने के लिये पर्याप्त नहीं होता हो जिसकी उनसे आशा की जाती है। और कभी ऐसा भी होता है कि जो रुपया हम इस प्रयोजन के लिये उन्हें देते हैं वह उस प्रयोजन के लिये पूरी तरह से या ठीक तरह से प्रयुक्त नहीं होता है। यह खर्च ही नहीं किया जाता। इससे शायद ऐसा लग सकता है कि हम उन्हें ज्यादा दे रहे हैं। किन्तु ऐसे मामले बहुत थोड़े हैं। मैं दोनों पहलू सभा के सामने रख रहा हूं।

स्वाभाविक रूप से मैं यह नहीं कह सकता कि हमारी वैदेशिक सेना में लगे सभी कर्मचारी उसी स्तर उच्च के हैं जैसा कि हम चाहते हैं किन्तु मैं यह अवश्य कहूंगा कि विदेश में हमारे मिशनों के प्रधान बहुत योग्य हैं और उनकी तुलना किसी भी देश के राजदूतों से की जा सकती है। ऐसे लोग भी हैं जो उस स्तर तक नहीं आते। ऐसी बड़ी सेवा में कई बार कठिनाइयां आती ही हैं। हमें कुछ अनुशासनिक कार्यवाही करनी पड़ती है। किन्तु हमारे राजदूतावासों ने विदेशों में अपना कार्य बड़ी गरिमा एवं योग्यता से किया है और बड़े देशों की राजनीतिक सेवा की तुलना में खर्च भी कम ही किया है।

इस सम्बन्ध में मैं यह बात भी बताना चाहता हूं, यद्यपि इसका सम्बन्ध वैदेशिक कार्यों से नहीं है, कि नीफा क्षेत्र में दो तीन वर्ष पूर्व हमने राजनीतिक अधिकारियों की एक विशेष पदाली बनाई थी। वहां जैसी स्थिति है उसको सम्हालना बड़ा कठिन काम है और उसके लिये विशेष प्रकार के पदाधिकारियों की आवश्यकता थी। वहां का जीवन बड़ा कड़ा है, एकान्त सा है जहां सभ्य समाज की कोई सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं। कई बार बात तक करने को कोई नहीं मिलता; सिर्फ परिश्रम करना पड़ता है। इस कारण हमें विशेष प्रकार के लोग चाहियें जो जंगल में रहना पसंद करें जो शारीरिक तथा मानसिक दृष्टि से मजबूत हों, जो लोग वहां के लोगों में जाकर घुल मिल जायें। इसलिये हमने कई लोग चुने—हमारे चुनाव बोर्डों ने उन्हें चुना और मुझे सभा को यह बताने में बड़ी खुशी है कि इन में से अधिकांश लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया है।

मैं सभा को यहां यह बात भी बता दूं कि विदेशी सेवा में ही नहीं बल्कि नेफा जैसे क्षेत्र में भी केवल अधिकारी का ही महत्व नहीं है बल्कि उसकी पत्नी का भी पर्याप्त महत्व है। लोग साधारणतया कई बार यह महसूस नहीं करते कि किसी पदाधिकारी को नियुक्त करते समय हम वास्तव में दो व्यक्तियों की नियुक्ति करते हैं एक पदाधिकारी की और एक उसकी पत्नी की।

†**एक माननीय सदस्य** : जो लोग अविवाहित हैं उनके बारे में क्या होता है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : सदैव ही पत्नी नहीं होती, यह सच है किन्तु हम पत्नी से सामाजिक सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करने की आशा करते हैं। इस समय मैं नैफा जैसे आदिम जाति क्षेत्रों के पदाधिकारियों की पत्नियों के बारे में सोच रहा हूं। अभी कुछ दिन हुए एक पदाधिकारी तथा उसकी पत्नी की सूचना मुझे मिली। इस महिला ने उस दूरस्थ क्षेत्र में बड़ा अच्छा काम किया है उसके पति ने भी किया है लेकिन इसमें खुद ने बहुत सुन्दर काम किया है। उसने आदिम जातियों के लोगों की सेवा और सहायता की उनसे मित्रता की, उनके बच्चों के साथ खेल कूद में हिस्सा लिया तथा उन्हें कई तरह की सहायता दी। उसके कार्य से वहां बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा जो कि शायद किसी पदाधिकारी के केवल औपचारिक कार्य से नहीं पड़ सकता था। इसलिये जहां तक नेफा, नागा पहाड़ियों तथा तुएनसांग डिवीजन आदि क्षेत्रों में काम करने वाले पदाधिकारियों का सम्बन्ध है, मैं इनकी प्रशंसा करता हूं और निश्चय ही ये लोग हमारी शुभकामनाओं के पात्र हैं। वे लोग कठिनतम परिस्थितियों में बड़ा ही अच्छा काम कर रहे हैं।

आज से कोई दस वर्ष पूर्व हमने अपनी विदेशी सेवा के निर्माण का कार्य आरंभ किया था। स्वतंत्रता से पहले बहुत ही कम मिशन थे। लंदन में इंडिया हाउस था और वाशिंगटन में थोड़ा सा प्रतिनिधित्व था और कुछ थोड़ी सी जगह और थी जहां अधिकतर वाणिज्यिक तथा शिक्षा सम्बन्धी मामलों के बारे में काम होता था। जन स्वतंत्रता के पश्चात् हमने काम आरंभ किया तो हमें इस महान् विश्व से सम्बन्ध स्थापित करने पड़े। हमने एक बड़े तरीके से काम शुरू किया—मेरा आशय यह नहीं है कि हम बहुत बड़े हैं, लेकिन हमने जोरशोर से कदम रखा और लोगों का ध्यान हमारी ओर खिंचा। कई देश हमारे यहां अपने राजदूत भेजना चाहते थे और बदले में हमारे राजदूत अपने यहां चाहते थे। हम सहमत थे किन्तु यह आसान काम न था, विदेशी सेवा का सारा ढांचा बनाना सरल नहीं था। इसके लिये केवल अच्छी शिक्षा ही आवश्यक नहीं है —अनुभव की भी जरूरत है। जैसा कि सेना में होता है—किसी में अपनी व्यक्तिगत योग्यता चाहे कितनी हो, किन्तु जनरल स्टाफ का जो लम्बा अनुभव होता है वह ज्यादा महत्व की चीज होती है। वह अनुभव एक व्यक्तिगत में कभी भी नहीं हो सकता। इसी प्रकार विदेशी सेवा का सामूहिक अनुभव वैदेशिक कार्यालय में महत्वपूर्ण होता है—शायद उतना महत्व इसका न हो जैसा कि सेना के जनरल स्टाफ का होता है, किन्तु फिर भी यह बड़ा महत्वपूर्ण होता है। यह एक प्रकार का आधारभूत अनुभव होता है जो निर्णय शक्ति देने में बड़ा सहायक सिद्ध होता है।

सबही माननीय सदस्य अखबार पढ़ते हैं और पढ़कर किसी घटना विशेष के बारे में अपनी धारणा बनाते हैं। चूंकि मैं वैदेशिक कार्य मंत्री हूं इस कारण मुझे विभिन्न मामलो से ज्यादा जानकारी रहती है। प्रायः ऐसा होता है कि मैं कई मामलों में शीघ्र ही किसी निर्णय पर पहुंच जाता हूं किन्तु जब उसकी गहराई में जाता हूं और कार्यालय में कागजात देखता हूं कि कैसे वह समस्या उठी और पहले क्या क्या हो चुका है, तो मुझे अपनी राय बदलनी पड़ती है। कारण यह है कि वहां हमारे सामने संग्रहीत अनुभव मौजूद होता है। हमने बिल्कुल नये सिरे से काम आरंभ किया था और अब हमें आवश्यक अनुभव हो गया है और होता जा रहा है। अब हमारे ४१ राजदूतावास हैं, ७ अध्यायोग हैं, ११ लिगेशन हैं, २६ वाणिज्यिक दूतावास तथा उपदूतावास हैं और १६ आयोग, विशेष मिशन तथा अभिकरण हैं इस

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

प्रकार कुल मिलकर हमारे १०१ विदेशी मिशन हैं । इसके अलावा भारतीय सूचना कार्यालय भी काफी जगह हैं। यह संख्या काफी है। मैं यह नहीं कह सकता कि बाहर हमारा प्रत्येक कार्यालय या पदाधिकारी बहुत योग्यता से काम कर रहा है। कई प्रकार के लोग हैं किन्तु सामूहिक रूप से देखते हुए उनका स्तर काफी ऊंचा रहा है और इस बात में कोई सन्देह नहीं हो सकता कि दुनियां के राजनयिक पदाधिकारियों में उनकी काफी ख्याति है।

जहां तक दुनिया के देशों से हमारे सम्बन्धों का प्रश्न है, हमारे संबंध सबसे बहुत अच्छे हैं। दुर्भाग्य से हम अपने पड़ौसी देश पाकिस्तान से मैत्री रखने तथा सहचार पैदा करने में सफल न हो सके। पुर्तगाल के साथ भी गोआ के कारण हमारे कोई संबंध नहीं है। दक्षिणी अफ्रीका के साथ भी हमारे राजनयिक सम्बन्ध नहीं हैं। सभा उसके कारण जानती है। इनके अतिरिक्त हमारे राजनयिक कर्मचारी सारी दुनियां में फैले हुए है।

इस समय मैं संसार के मामलों के बारे में या सामान्य नीति के प्रश्न पर चर्चा नहीं करूंगा। मैं संक्षेप में कुछ मामलों का उल्लेख करना चाहता हूं। हमारी वैदेशिक नीति को इस सभा की तथा देश की बहुसंख्या का समर्थन प्राप्त है। कई पहलुओं पर आलोचनायें की जाती हैं और ठीक आलोचनायें की जाती हैं किन्तु सामान्य नीति पर सब का समर्थन प्राप्त है जिससे सरकार को अपनी नीति कार्यान्वित करने में बड़ी शक्ति मिली है। क्योंकि यदि हम किसी नीति को संयुक्त राष्ट्र संघ में या कहीं और रखते हैं लेकिन देश में उस पर कड़ा मतभेद हो, तो उसका प्रभाव ज्यादा न पड़ेगा।

आज दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण बात निशस्त्रीकरण की है और सारी दुनिया का भविष्य इसी पर आधारित है कि इसके बारे में क्या किया जाता है। गत कुछ महीनों में इस सम्बन्ध में काफ़ी कुछ हुआ है। सब से बड़ी बात जो हुई है वह यह है कि सोवियत रूस ने आणविक बमों के परीक्षणात्मक विस्फोटों को बन्द करने की घोषणा की है। इसकी यह आलोचना की जाती है कि चूंकि वे बहुत ज्यादा परीक्षण कर चुके हैं, इसलिये अब उन्हें बन्द भी कर सकते हैं। किन्तु ऐसी आलोचना तो किसी भी कार्य के बारे में की जा सकती है। आज अमेरिका तथा रूस दोनों देशों के पास बहुत बड़ी संख्या में आणविक तथा उद्जन बम हैं और शायद अब उन्हें ज्यादा बनाने की आवश्यकता नहीं हैं। यद्यपि उन्हें इनकी आवश्यकता नहीं है फिर भी यदि वे इनका आगे निर्माण रोक दें तो यह बहुत बड़ा काम होगा। अच्छा काम तो अच्छा काम ही होता है। हमारे देश ने रूस के इस कार्य का स्वागत ही किया है। परीक्षण बन्द करने की घोषणा करते हुए उन्होंने यह शर्त रख दी है कि अगर दूसरे देश नहीं रोकेंगे तो हम उसे पुनः शुरू कर देंगे—खैर मैं समझता हूं कि ऐसी जरूरत अब पेश ही न आयेगी ।

एक और बात है—रूस ने कहा है कि वह नियंत्रण तथा निरीक्षण के लिये भी तत्पर है। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात हैं। क्योंकि डर ही एक असली रुकावट है और अक्सर यह कहा गया है कि विस्फोट किया गया है या नहीं इसको जानने का कोई निश्चित तरीका नहीं है। मैं वैज्ञानिक तो नहीं हूं कि इसकी सत्यता प्रमाणित कर सकूं क्योंकि वैज्ञानिकों की रायें भी अलग अलग होती हैं। वास्तव में इसका हल यह हो सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ इन मामलों में किसी विख्यात वैज्ञानिक को नियुक्त करे और यह मालूम करने को कहे कि विस्फोट होने का पता निश्चित रूप से कैसे लगाया जा सकता है ।

इधर अमेरिका की ओर से राष्ट्रपति श्री आइजनहावर की योजना है कि अणुशक्ति का शान्तिमय कार्यों के लिये प्रयोग किया जाये और विखंडनीय सामग्री का युद्ध के लिये इस्तेमाल न किया जाये। यह भी बड़ी महत्वपूर्ण प्रस्थापना है। ये सब प्रस्थापनायें यदि क्रियान्वित कर दी जायें तो निश्चय ही इससे वर्तमान तनातनी और डर के वातावरण में बड़ा अन्तर पड़ सकता है। मैं यह नहीं कहता कि उन्हें मानने के लिये ही दुनिया की बड़ी समस्याओं का हल हो जायेगा। किन्तु इतना ज़रूर है कि इनके अनुसार काम करने से ऐसा वातावरण पैदा हो सकेगा जिससे विश्व की इन समस्याओं का हल आसान हो जायेगा।

जैसा माननीय सदस्य जानते हैं, आजकल शिखर सम्मेलन की बात हो रही है। जहां तक हम अन्दाज लगा सकते हैं, मैं किसी गुप्त सूचना के आधार पर ऐसा नहीं कह रहा, हमें यही दिखाई देता है कि इस वर्ष में कोई ऐसा सम्मेलन हो जायेगा। वैसे तो प्रत्येक देश ही इस विषय में रुचि रखता है, क्योंकि विश्व में शक्ति की स्थापना इसी पर निर्भर है किन्तु शान्ति और युद्ध का यह मामला केवल दो देशों के हाथों में है और वे देश हैं अमेरिका तथा रूस। इसलिये वास्तव में जो भी समझौता होना चाहिये वह इन्हीं दो के बीच होना चाहिये। जिस निश्शस्त्रीकरण सम्मेलन में इन दोनों में से एक पक्ष भी अनुपस्थित होगा तो वह कोई निश्शस्त्रीकरण सम्मेलन नहीं होगा। इससे कोई भी परिणाम नहीं निकल सकते। उच्चस्तरीय सम्मेलन में भाग लेने के लिये कई बार भारत के नाम का भी उल्लेख हुआ है। इस बात से हम कुछ उलझन में पड़ जाते हैं। हमने सदैव यही उत्तर दिया है कि हम ज़बरदस्ती किसी सम्मेलन में जाना नहीं चाहते, हां यदि मुख्य सदस्य चाहते हैं कि हम वहां आयें और हमारे आने से वहां फायदा होगा तो हम अवश्य ही सहायता के लिये तैयार हैं। यह समस्यायें हमारे ऊपर भी उतना ही ज्यादा असर रखती हैं जितना दूसरों पर।

विश्व की समस्याओं के बारे में एक बात और कहूंगा। यदि लोग यह चाहते हैं कि शीत युद्ध समाप्त हो जाये तो इसके लिये शत्रुतापूर्ण रवैया या अपने विरोधी के प्रति निन्दापूर्ण रवैया नहीं अपनाना चाहिये। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि अलग अलग देशों की नीति अलग अलग होती है, सरकार के ढांचे अलग होते हैं और आर्थिक दृष्टिकोण अलग होते हैं। यह अन्तर तो है ही। उस अन्तर को आप युद्ध से समाप्त नहीं कर सकते क्योंकि लड़ाई तो हमने एक तरफ रख दी है। अब तो सब मानते हैं कि युद्ध सर्वनाश कर देगा। तब हम कैसे आगे बढ़ें? यदि हम लड़ाई की भावना से बातचीत करें, कटु भाषा का प्रयोग करें तब भी हमें सफलता न मिलेगी। अतः हमें अपनी नीति के बारे में अपनी ही राय बना कर और अपनी सुरक्षा के बारे में सोचकर, क्योंकि कोई भी देश अपनी सुरक्षा से ध्यान नहीं हटा सकता, मैत्रीपूर्ण ढंग से ही बातचीत करनी चाहिये, न कि शत्रुतापूर्ण रवैये से। आप अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, अपने सिद्धान्तों पर डटे रहें किन्तु इस बात का ध्यान रखें कि हमें इस दुनिया में इकट्ठे मिल कर शान्ति से रहना है। हम शान्ति के मार्ग से ही ऐसा कर सकते हैं—हमें शीत युद्ध की दृष्टि से नहीं सोचना है, क्योंकि शीत युद्ध का अर्थ है घृणा, हिंसा और भय। तो मैं समझता हूं कि यह एक महत्वपूर्ण चीज है क्योंकि इसके अतिरिक्त दूसरा कोई मार्ग नहीं है।

यह तो रहे दुनिया के बड़े बड़े प्रश्न। जहां तक भारत का सम्बन्ध है हमारे लिये ज्यादा महत्व के मामले दो या तीन हैं—पाकिस्तान से सम्बन्ध रखने वाले मामले, गोआ का मामला जो दूसरी तरह का है, दक्षिणी अफ्रीका में जातीय भेद का मामला तथा वहां रहने वाले भारतीय उद्भव लोगों के साथ किये जाने वाला व्यवहार—यह याद रखिये कि ये भारतीय राष्ट्रजन नहीं हैं, ये लोग दक्षिण अफ्रीका के ही राष्ट्रजन हैं। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय राष्ट्रजनों के प्रति

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

व्यवहार का प्रश्न ही नहीं उठा है क्योंकि वहां कोई भारतीय राष्ट्रजन नहीं है । ये सब भारतीय उद्भव के लोग हैं जो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रजन हैं । हम इस मामले में केवल इस कारण ही रुचि नहीं लेते हैं क्योंकि हम जातीय भेदभाव के विरुद्ध हैं, बल्कि इसके पीछे एक लम्बा इतिहास है, ५०–६० वर्ष पहले का और आजादी से पहले तथा बाद भी हम इस समस्या से सम्बन्धित रहे हैं ।

मैं इस सम्बन्ध में ज्यादा नहीं कहूंगा । केवल इतना कहूंगा कि आज दुनिया में बहुत से झगड़े हैं और खतरे हैं और दक्षिण अफ्रीका का जातीय संघर्ष का यह मामला भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि दूसरे मामले हैं । दुनिया के और भागों में भी जातीय संघर्ष है । हमारे यहां भी यह संघर्ष है यदि इस प्रकार का नहीं तो कम से कम इससे मिलता जुलता है । हमारे अपने ही देश में जब हम अछूतों और दलित वर्गों को दबाते हैं तो वह क्या है ? हमें यह नहीं समझना चाहिये कि हमारे हाथ साफ हैं । हम अपने दोषों और अपनी बुराइयों को देखे बिना दूसरों की निन्दा नहीं कर सकते ।

अमेरिका तथा अन्यत्र भी जातीय संघर्ष के मामले हैं । किन्तु जो चीज़ दक्षिण अफरीका को अलहदा करती है वह यह है : अमेरिका में जातीय समस्या को ठीक करने के प्रयास किये जाते रहे हैं । मैं यह नहीं कहता कि उन्होंने समस्या को हल कर लिया है, वे प्रयत्न कर रहे हैं और सफल हो रहे हैं । वहां प्रगति हो रही है, और अन्य देशों में भी हो रही है किन्तु दक्षिण अफ्रीका मे सरकार की घोषित एवं स्पष्ट नीति यही रही है कि पृथक्करण और जातीय प्रभुता को बनाया रखा जाये । इसी कारण यह मामला सब से अलग है । यों तो जातीय संघर्ष कई देशों में है किन्तु दक्षिण अफ्रीका में तो यह सरकारी नीति है, और जब स्थिति इस प्रकार की है तो कोई भी देश या कोई भी व्यक्ति जो संयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर में विश्वास रखता है इस नीति का समर्थन नहीं कर सकता ।

दूसरा मामला श्रीलंका में रहने वाले भारतीय उद्भव लोगों का है । मैं उसके सम्बन्ध में कुछ नहीं कहूंगा । यह समस्या उलझी हुई है । ये समस्यायें आबादी के बढ़ने, बेकारी तथा आर्थिक संकटों के कारण और भी गम्भीर होती जाती है । और मुख्य रूप से यह समस्या लंका सरकार की समस्या है क्योंकि हमारे अनुसार ये लोग भारत के राष्ट्रजन नहीं हैं । चाहे वे पंजीबद्ध हों या न हों हम इन्हें श्रीलंका के राष्ट्रजन मानते हैं । यह समस्या उनकी है । इसमें हम पिछले इतिहास के कारण रुचि रखते हैं । हम चाहते हैं कि इसका हल हो जाये क्योंकि हम श्रीलंका की सरकार के मित्र हैं और हमारे उनसे सांस्कृतिक सम्बन्ध आदि भी हैं । यह दुर्भाग्य की बात है कि यह मामला इतना लम्बा खिंच गया है किन्तु एक बात मैं कहूंगा कि हमें बिना सोचे विचारे ही किसी सरकार की या श्रीलंका की सरकार की निन्दा नहीं करनी चाहिये, केवल इस कारण कि इसने समस्या को शीघ्र नहीं सुलझाया है । उनकी अपनी कठिनाइयां हैं और जिस तरह हम उनकी कठिनाइयों को समझने के लिये तैयार हैं उसी तरह उन्हें भी हमारी स्थिति समझनी चाहिये किन्तु यह भी स्पष्ट है कि हम इतने लोगों को, जो आज तक वहीं रहे हैं वहीं पैदा हुए हैं, यहां नहीं ले सकते और राष्ट्रजनों के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते । सौभाग्य से श्रीलंका में वहां की सरकार तथा अन्य लोग अब यह महसूस करने लगे हैं, हम तो करते ही हैं कि इसे राजनीतिक समस्या न समझा जाये बल्कि मानवीय समस्या समझा जाये और मुझे आशा है कि चाहे समय लगे किन्तु इसका मैत्रीपूर्ण ढंग से ऐसा हल हो जायेगा जो वहां रहने वाले इतने सारे लोगों के लिये हितकर होगा ।

अब मैं भारत और पाकिस्तान के बीच की समस्याओं और कठिनाइयों को लेता हूं। मैं इस मामले पर ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा ; हां इतना जरूर कहूंगा कि इन समस्याओं की एक लम्बी सूची बनाई जा सकती है। काश्मीर की समस्या है, नहरी पानी की समस्या है, पूर्वी बंगाल से हिन्दुओं के आने की समस्या है, विस्थापितों की और पुनर्वास की समस्या है, वित्तीय समस्यायें हैं और बहुत सी बातें हैं। सभी चल रही हैं। कभी कभी किसी मामले में थोड़ी प्रगति हो जाती है किन्तु सामान्य रूप से किसी भी बड़ी समस्या के सुलझाने में कोई प्रगति नहीं हो रही है। यह बड़े ताज्जुब की बात है क्योंकि एक बात सब लोगों को—भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के लोगों को याद रखनी चाहिये कि भारत और पाकिस्तान के बीच किसी झगड़े का बना रहना या शीत युद्ध का चलते रहना हम दोनों के लिये ही घातक है। हम चाहे कोई भी तरीका या दृष्टिकोण अपनायें, सिर्फ एक क्रुद्ध व्यक्ति के से दृष्टिकोण को छोड़ कर जो कि एक बुरा दृष्टिकोण है, चाहे हम किसी दृष्टि से, भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक या किसी भी दृष्टि से देखें, लेकिन यह स्पष्ट है कि भारत तथा पाकिस्तान को मिल कर रहना चाहिये और एक दूसरे की नीतियों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। हम अलग अलग देश हैं, स्वतंत्र देश हैं किन्तु हम भूगोल और इतिहास को और दोनों देशों में विद्यमान अन्य बहुत सी बातों को तो झुठला नहीं सकते। इस कारण यह आवश्यक है कि हम मिलकर रहें। हमारी नीति यह नहीं है कि हम उन्हें किसी विशेष नीति पर चलने के लिये बाध्य करें। चाहे हम उनकी नीति को गलत ही क्यों न समझें तो जैसा मैंने कहा यह जीवन के तथ्य हैं। और इसी कारण यह बड़े दुख की बात है कि हम दोनों देशों के बीच स्वाभाविक और अनिवार्य सम्बन्ध पैदा करने में सफल नहीं हो रहे हैं।

लेकिन हमें एक और आशा है और वह है भारत तथा पाकिस्तान की जनता। मैं समझता हूं कि अब लोगों के बीच कटुता की वह भावना नहीं है जो आज से दस ग्यारह वर्ष पूर्व थी। विभाजन से और उसके बाद इतने सारे लोगों के इधर उधर आने से और भारी मार-काट से जो कटुता पैदा हो गई थी वह अब नहीं रही है। राजनैतिक क्षेत्र में ही लोगों की भावनायें उत्तेजित की जा सकती हैं या फिर धर्म का सहारा ले कर यह काम हो सकता है, पाकिस्तान में यह ज्यादा आसानी से हो जाता है लेकिन भारत में भी कुछ हद तक हो जाता है। हमारे यह समझे बैठे रहने से कोई फायदा नहीं कि हमारा दामन पाक है। हमने भी गलतियां की हैं।

मैं समझता हूं कि पाकिस्तान तथा भारत में मुख्य अन्तर इस कारण नहीं कि हम यानी साधारण लोग वहां के लोगों से ज्यादा अच्छे हैं। हम तो एक से ही लोग हैं। हमारे गुण दोष भी एक से ही हैं। लेकिन सब से बड़ा अन्तर यह है कि हम लोग, न केवल सरकारी तौर पर बल्कि लगभग सभी राजनैतिक दलों के लोग और दलों के नेता यही चाहते हैं और हमारा यही उद्देश्य है कि हम दोनों में झगड़ा न हो और पाकिस्तान की जनता के साथ अच्छे सम्बन्ध बनें, लेकिन पाकिस्तान के नेताओं ने ऐसा नहीं किया है। मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूं। मैं यह नहीं चाहता हूं कि हम दोनों परस्पर एक दूसरे की आलोचना करें। पर पाकिस्तान में परिस्थिति शुरू से कुछ ऐसी रही है, यानी साम्प्रदायिक आधार पर पाकिस्तान का बनना और बाद की बातें और जिस तरह से वहां काम चलता रहा है, यह सब चीजें कुछ ऐसी रही हैं कि दुर्भाग्य से वहां के नेता मुस्लिम लीग की पुरानी परम्पराओं पर चल कर भारत के साथ संघर्ष व झगड़ा रखने पर जोर देते रहे हैं। इसलिये यद्यपि सरकार और जनता के नाते हम दोनों में ही कुछ दोष हैं लेकिन हमने कम से कम सही रास्ते पर चलने की कोशिश तो की है। पर पाकिस्तान सही रास्ते पर चलने की कोई कोशिश नहीं करता। मैं किसी व्यक्ति की आलोचना नहीं

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

कर रहा हूं मैं तो मुस्लिम लीग की आलोचना कर रहा हूं, उन परिस्थितियों की आलोचना कर रहा हूं जिनके परिणामस्वरूप विभाजन हुआ ।

आप देखेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच यह तनावपूर्ण सम्बन्ध अजीब हैं क्योंकि दोनों देशों के आम लोग जब मलते हैं तो वे दोस्तों की तरह मिलते हैं, एक सी भाषा बोलते हैं, हम कोई अजनबी की तरह नहीं मिलते ; हमारे बीच में अनेक बातें समान होती हैं । लोग हमें राय देते हैं—विदेशों के लोग—कि काश्मीर समस्या हल हो जाने के बाद यह नहर पानी विवाद तय हो जाने के बाद सब बातें ठीक हो जायेंगी ; हमारे सम्बन्ध अच्छे हो जायेंगे । ठीक है कि किसी बड़ी समस्या के हल हो जाने के बाद वातावरण कुछ ठीक ही हो जायेगा । पर मैं बताना चाहता हूं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव है और झगड़े की भावना है वह काश्मीर समस्या या नहरी पानी विवाद के कारण नहीं है, इसका मूल कारण कुछ और ही है । ये सब झगड़े उसी मूल कारण से पैदा हुये हैं और अब ये सब बातें आपस में इतनी उलझ गई हैं कि मूल कारण तथा उससे उत्पन्न समस्याओं या विवादों को अलग-अलग समझना कठिन हो गया है । पर यदि पाकिस्तान इसी प्रकार भारत विरोधी रवैया अपनाता रहा, भारत के विरुद्ध घृणा की भावना रखता रहा, यदि पाकिस्तान के अखबारों में और वहां के नेताओं के मुंह से नफ़रत और कटुता से भरे वक्तव्य निकलते रहे और यदि पाकिस्तान की विदेशी तथा आन्तरिक नीति यही रही तो इन मामलों को सुलझाने या न सुलझाने का कोई महत्व नहीं है । यदि काश्मीर की समस्या किसी तरह हमारे बीच नहीं हो तो इसका बहुत प्रभाव तो अच्छा पड़ता, यह बात मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन जब तक पाकिस्तान के मूल दृष्टिकोण में परिवर्तन नहीं होगा तब तक इस तरह की बातें किसी न किसी रूप में होती रहेंगी । यह हमारी कठिनाई है ; इन बातों से हमें बहुत दुःख है । लेकिन मैं कोई ऐसे शब्द कहना नहीं चाहता, जिनसे ये कठिनाइयां और बढ़ जायें । पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, उसे हम पसन्द नहीं करते । मैं पाकिस्तान की आलोचना नहीं करना चाहता ; जब तक पाकिस्तान की किसी बात का हम पर कोई असर नहीं पड़ता तब तक हमें पाकिस्तान की आलोचना करने की कोई जरूरत नहीं है ।

मैंने अभी कल या परसों के समाचार-पत्र में पढ़ा है कि पाकिस्तान के भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने कहा है कि हमें पाकिस्तानी फौजों को काश्मीर पर धावा बोल देने के लिये कह देना चाहिये । यह सब क्या बात है ? क्या यह समझदारी की बात है ? यह सब यदि क्रोध की प्रतिक्रिया है तो इससे कटुता, घृणा, भय और तनाव का वातावरण ही पैदा होता है, जब कि हम इस प्रकार के वातावरण से छुटकारा पाना चाहते हैं ।

माननीय सदस्यों को पता है कि पाकिस्तान के कुछ खास खास लोगों ने जम्मू और काश्मीर में तोड़ फोड़ करने के लिये लोगों को तैयार करने का पेशा बना लिया है । मुझे ठीक संख्या याद नहीं है पर सैंकड़ों बम विस्फोट वहां हो चुके हैं और बहुत से लोग मारे जा चुके हैं । यह सब जान बूझ कर वहां कराया जा रहा है । जब पाकिस्तान का यह रवैया है, जब वहां जिहाद की बातें की जाती हैं तो कोई कहां तक इन समस्याओं को हल कर सकता है । मैं यह नहीं कह सकता कि पाकिस्तान की सारी जनता का रवैया ऐसा ही है । मैं तो इतनी बात भी नहीं कहता क्योंकि अन्य देश के नेताओं की आलोचना करने का मुझे क्या हक है ? मैं तो केवल यह कहना चाहता हूं कि हम एक उलझन में फंस गये हैं क्योंकि पाकिस्तान की नीति निषेधात्मक नीति है, भारत के प्रति घृणा फैलाने की है । वहां के कुछ लोग यह कहते फिरते हैं कि भारत उनको कुचल देना चाहता है, निगल देना चाहता है और विभाजन को खत्म कर देना चाहता है । किसी का ऐसा

सोचना बेवकूफी है और ऐसा कोई काम करना अपराध होगा। यदि विस्तृत दृष्टिकोण से न सही, संकुचित दृष्टिकोण से भी देखा जाय तो भारत के लिय ऐसा करना एक मूर्खतापूर्ण अपराध होगा। विभाजन को कोई खत्म नहीं करना चाहता। ऐसा करना डाक भयंकर बात होगी; इससे हमें ही हानि होगी ; हम जो कुछ भी कर रहे हैं चाहे हमारी पंचवर्षीय योजना हो या अन्य कोई काम, सब नष्ट हो जायेगा। यदि हम विभाजन को विफल करने का प्रयत्न करेंगे तो इससे हमारी आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक हानि ही होगी। दोनों देशों के लिये यही अच्छा है कि वे अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करते हुये अपने-अपने रास्ते पर आगे बढ़ें ; एक दूसरे के निकट आये और कार्य तथा विचारों में एक दूसरे का सहयोग करे।

हमारे सामने दो मुख्य समस्यायें हैं। इन में से एक नहरी पानी विवाद है जो कितने समय से चला आ रहा है। हमारे कुछ बहुत अच्छे-अच्छे इन्जीनियर वाशिंगटन में पड़े हुये हैं और पाकिस्तान तथा विश्व बैंक के प्रतिनिधियों के साथ इस सम्बन्ध में बात कर रहे हैं। इन बातों तथा चर्चाओं पर हम बहुत बड़ी राशि व्यय कर चुके हैं— शायद करोड़ों रुपये। हम इस बातचीत पर जो धन खर्च कर चुके हैं उस से भारत में या पाकिस्तान में एक सुन्दर योजना या सुन्दर नहर बनवाई जा सकती थी। बातचीत करने से लाभ होता है, कम से कम झगड़ा करने से तो अच्छा ही है। तो यह नहरी पानी विवाद की समस्या है और न तो यह राजनैतिक समस्या है और न ही इसे राजनैतिक समस्या समझा जाना चाहिये। यह एक मानवीय समस्या है। हम यह नहीं चाहते कि पाकिस्तान को पानी न दें। हम यह नहीं चाहते कि पाकिस्तान के किसानों को पानी की तकलीफ हो। पर, हम अपनी जनता को भी पानी की सुविधा से वंचित नहीं कर सकते। हम जानते हैं कि पिछली कई पीढ़ियों से हम राजस्थान व पंजाब के लोग इसकी तैयारी कर रहे थे अतः हम इस सुविधा से अपने देश की जनता को वंचित नहीं कर सकते। हम अपने देश की जनता की आशाओं पर केवल इसलिये तुषारपात नहीं कर सकते कि यह बात कुछ लोगों को नापसन्द है। ध्यान रहे कि यह सब योजनाये स्वतंत्रता पूर्व व विभाजन पूर्व की हैं।

फिर भी, मैं बताना चाहता हूं कि इस समस्या के सम्बन्ध में हमारा रवैया पाकिस्तान के साथ दोस्ती का है और मानवीय है। हम इसको ठीक से हल करने का भरसक प्रयत्न करेंगे। इस बात का क्या मतलब है कि पाकिस्तान हम से १००० करोड़ रुपये की मांग करे। यह बड़ी बेतुकी बात है, इतनी बड़ी राशि देना जैसे कोई खेल है। क्या कोई देश इतनी बड़ी राशि वैसे दे सकता है। हम पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते पर साथ ही हम यह भी नहीं चाहते कि हमें नुकसान हो।

अब, जम्मू और काश्मीर की समस्या को लीजिये। अभी डा० ग्राहम ने अपना प्रतिवेदन दिया है। डा० ग्राहम पहले भी भारत आये थे और हम सभी लोग, जो उनसे मिले थे, उनका सम्मान करते हैं। वह सद्भावना और नेक इरादे रखने वाले आदमी हैं और उनसे मिलने पर वास्तव में बड़ी खुशी होती है। इस बार डा० ग्राहम यहां आये, वह हमारे माननीय अतिथि थे। हमने सुरक्षा परिषद् को पहले ही सूचित कर दिया था कि हम इस संकल्प को स्वीकार नहीं करते पर यदि डा० ग्राहम भारत आयेंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। डा० ग्राहम भारत आये और उन्होंने हम लोगों से बात की। अपने प्रतिवेदन में उन्होंने बताया है कि हमसे उन्होंने किस प्रकार की बातें की थीं। इस समय मैं काश्मीर के प्रश्न को नहीं उठा रहा हूं क्योंकि वह एक बहुत बड़ी व कठिन समस्या है और सभा को पता ही है कि इस मामले में हमारी क्या स्थिति है और इस मामले पर भारत में और सुरक्षा परिषद् में विस्तारपूर्वक अपने क्या विचार रखे हैं। और इस सम्बन्ध में मेरा विश्वास है कि इस सभा में तथा इस देश में दो मत नहीं हैं। हो सकता है कि कहीं कोई

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

किसी बात पर कुछ अधिक जोर देता हो और कोई कहीं कुछ कम, पर मोटे तौर पर हमारे विचारों में तनिक भी मतभेद नहीं है ।

मेरा विचार है कि इस समस्या पर विचार करने में कठिनाई यह रही है कि आरम्भ से ही सुरक्षा परिषद् ने कुछ मूल तथ्यों तथा मूल बातों पर विचार नहीं किया है, इसलिये जो कुछ अब तक इस बारे में सोचा गया है या किया गया है, वह अवास्तविक है और इसी कारण इतना समय हो जाने के बाद भी कोई परिणाम नहीं निकला है ।

डा० ग्राहम से पहले डा० जारिंग भी सुरक्षा परिषद् के प्रतिनिधि के रूप में आये थे । उन्होंने भी एक संक्षिप्त प्रतिवेदन दिया था । सभा को स्मरण होगा कि उस प्रतिवेदन में कुछ तथ्यों, कुछ बातों, जीवन की कुछ सच्चाइयों को स्वीकार किया गया था—जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती । उन्होंने केवल इन बातों की ओर संकेत मात्र ही किया था—विस्तार से उनका वर्णन नहीं किया था ; वह कठिन काम था । आज जिस प्रकार की यह समस्या है उसका कुछ रूप यहां दिखाई देता है । आप इस समस्या पर या तो १९४८ और १९४९ की स्थिति के अनुसार विचार करें या फिर वर्तमान स्थिति के अनुसार विचार करें । आप हमेशा एक ही स्थिति को मान कर विचार नहीं कर सकते । मैं १९४८ और १९४९ की बात इसलिये कहता हूं क्योंकि उन दिनों सुरक्षा परिषद् ने कुछ संकल्प पारित किये जिन्हें हमने स्वीकार कर लिया था । उन संकल्पों में पहली बात कही गई थी कि भारत और पाकिस्तान परस्पर एक निश्चित ढंग का व्यवहार करें अर्थात् शान्तिपूर्वक रहें ; एक दूसरे को भला बुरा न कहे और झगड़े की स्थिति न पैदा करें । दूसरी बात यह कही गई थी कि पाकिस्तान ने काश्मीर के जिस भाग पर कब्जा कर लिया है वह वहां से कब्जा हटा ले । ध्यान रहे कि उन संकल्पों का आधार जम्मू और काश्मीर राज्य की सारे क्षेत्र पर प्रभुता को स्वीकार करना था और चूंकि वह राज्य भारत का अंग था अतः भारत की प्रभुता को माना गया था । मैं उस बात के ब्यौरे में नहीं जा रहा हूं अब, उसके बाद इन दस वर्षों में कई प्रकार की बातें हो चुकी हैं, कई प्रकार के परिवर्तन हो चुके हैं । काश्मीर समस्या के बारे में जो कागजात हैं वह भी लगभग २५–३० गट्ठर हैं ।

अब आज की स्थिति को देखिये । हम उन संकल्पों से जो हमनें स्वीकार किये थे, विचलित नहीं होना चाहते । पर हम देखते हैं कि गत १० वर्षों में पाकिस्तान ने उन संकल्पों के पहले भाग को या दूसरे या तीसरे किसी भी भाग को कार्यान्वित नहीं किया है और इन सब बातों को ध्यान में रखे बिना सुरक्षा परिषद् में ऐसी बातों पर चर्चा की जाती है जिनकी चर्चा तब होने की आवश्यकता थी जब पाकिस्तान अन्य सब बातों को पूरा कर देता ।

डा० ग्राहम ने कुछ सुझाव पेश किये हैं । उनका पहला सुझाव था कि भारत और पाकिस्तान को शान्ति का वातावरण बनाय रखने के लिये फिर से घोषणा करनी चाहिये । मैं ऐसी घोषणा करने को तैयार हूं—एक-दो और अनेक बार भी । मैं यह कहना चाहता हूं कि हम तो ऐसी घोषणा करने को तैयार हैं लेकिन हमने डा० ग्राहम का ध्यान उन घोषणाओं की ओर आकृष्ट किया था—जब वे करांची में थे—जो पाकिस्तान में रोज की जा रही हैं । पाकिस्तान में जो घोषणायें होती हैं उनमें शान्ति का कोई आभास तक नहीं होता ; वे तो शान्ति-विरोधी होती हैं और जम्मू और काश्मीर में जो बम वस्फोट की घटनाय होती हैं उनके पीछे पाकिस्तान ही है । डा० ग्राहम न जो कुछ कहा है उस पर कोई भी आपत्ति नहीं कर सकता ; हम तो शान्ति की घोषणा करने के लिये हर तरह तैयार हैं । पर हमें तथ्यों की ओर भी देखना चाहिये और यह देखना चाहिये कि वहां क्या हो रहा है और पाकिस्तान के एक भूतपूर्व प्रधान मंत्री क्या कह रहे हैं—यह कल के अखबार में आपने पढ़ा होगा ।

डा० ग्राहम ने दूसरा सुझाव दिया कि हम यह भी घोषणा करें कि हम युद्ध विराम रेखा का सम्मान करेंगे । मैं समझता हूं कि पिछले दस वर्षों में युद्ध विराम रेखा के उल्लंघन करने का हम पर किसी ने भी इल्ज़ाम नहीं लगाया है । हम पाकिस्तान द्वारा काश्मीर के एक भाग पर कब्ज़ा कर लिये जाने को किसी प्रकार न्यायोचित नहीं मानते परन्तु हमने यह भी कहा है कि हम पाकिस्तान के विरुद्ध कोई आक्रमण नहीं करेंगे और वास्तव में हमने किया भी नहीं । बल्कि इसके विपरीत, जैसा कि मैं बता चुका हूं पाकिस्तान ने युद्ध विराम रेखा से आगे बढ़ कर काश्मीर में संगठित रूप से तोड़ फोड़ की कार्यवाहियां कीं ।

डा० ग्राहम का तीसरा सुझाव यह था कि जम्मू और काश्मीर राज्य के लिये जिस भाग पर पाकिस्तान न कब्जा कर रखा है वहां से वह अपनी फौज हटा ले । ठीक है, फौज हटाने का काम उनका है न कि हमारा । इसमें यह तो प्रश्न है नहीं कि हम इस बात पर सहमत हों कि वे अपनी फौज हटायें क्योंकि हम तो शुरू से ही यह मांग करते आये हैं कि पाकिस्तान अपनी फौजें हटा ले ।

उनका चौथा सुझाव यह था कि पाकिस्तान द्वारा अपनी फौज हटायें जाने के बाद जम्म और काश्मीर राज्य की पाकिस्तानी सीमा पर राष्ट्र संघ की सेनायें रखी जायें ।

प्रस्ताव यह था या यह है कि राष्ट्र संघ की सेनायें जम्मू और काश्मीर राज्य क्षेत्र में और पाकिस्तान द्वारा अधिकृत रूप से कब्जा किये गये क्षेत्र में न रखी जायें। बल्कि पाकिस्तान राज्य क्षेत्र में रखी जायें । स्पष्ट है कि पाकिस्तान एक स्वतंत्र प्रभुत्वसम्पन्न राज्य है । यदि वह विदेशी फौंजों के रखने के लिये राजी है तो हम नहीं करने वाले कौन होते हैं ? हम उसे नहीं रोक सकते । पर जहां तक हमारा सवाल है हम अपने किसी भी क्षेत्र में विदेशी फौजों का रखना पसन्द नहीं करते । और खास तौर से इस मामले में तो काश्मीर और पाकिस्तान की सीमा पर राष्ट्र संघ की फौजों को रखने का कोई भी कारण नहीं है । पर यह तो हमारा विचार है । पर इससे हमारा कोई हल नहीं निकलता क्योंकि निश्चय तो यह हुआ है कि फौजें पाकिस्तानी राज्य-क्षेत्र में रखी जांय इससे सहमत होना या न होना पाकिस्तान पर निर्भर है हमने तो अपना मत व्यक्त कर दिया है ।

डा० ग्राहम का अन्तिम सुझाव था कि दोनों देशों के प्रधान मंत्री उनके सभापतित्व में मिले । हमारी तो सदैव से यह परिपाटी रही है कि किसी भी संघर्ष के मामले में हम अपने विरोधी, और प्रतिद्वन्दी से मिलने को तैयार रहे हैं, दोस्तों से मिलने को तो रहे ही हैं अतः जहां तक हमारा सम्बन्ध है मुझे पाकिस्तान के प्रधान मंत्री से मिलने में कोई आपत्ति नहीं है । पर डा० ग्राहम का कहना है कि हम उनके सभापतित्व में मिलें । अर्थात् हम तीनों मिलें । यह तो एक बिल्कुल भिन्न बात होगी ।

सब से पहली बात तो यह है कि इस प्रकार इस मामले में पाकिस्तान की और हमारी स्थिति बराबर की मानी जा रही है । पर हम हमेशा इस बात का विरोध करते आये हैं । दोनों की स्थिति बराबर नहीं है । पाकिस्तान एक आक्रमणकारी देश है । उसने काश्मीर पर आक्रमण किया है और हमारा देश पीड़ित देश है हम दोनों देश समान नहीं हो सकते । यही बात हम आरम्भ से कहते आ रहे हैं ।

दूसरी बात यह है कि डा० ग्राहम के सभापतित्व में मिलनें से ऐसा लगेंगा जैसे दोनों प्रधान मंत्री डा० ग्राहम के सामन कुछ विषयों पर अपनी अपनी वकालत करने आयें हैं । इस ढंग से किसी समस्या पर न ठीक तरह से विचार किया जा सकता है न उसे हल किया जा सकता है । अतः हमने डा० ग्राहम से कहा कि हम मिलने के लिये हमेशा तैयार हैं पर किसी

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

तीसरे व्यक्ति की उपस्थिति में--चाहे वह डा० ग्राहम जैसा प्रसिद्ध व्यक्ति ही क्यों न हों--मिलना उचित ढंग नहीं है ।

डा० ग्राहम के प्रतिवेदन के बारे में मैंने इतना इसलिये कहा क्योंकि इस विषय पर विदेशों के पत्रों में काफी बातें कही गई हैं और बिना पूरी जानकारी के काफी आलोचना की गई है । हमारे मित्र या वे लोग जो हमारे मित्र नहीं हैं, हमारी आलोचना कर सकते हैं और मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है । पर मैं चाहता हूं कि लोग इस बात पर विचार करें कि हमारी स्थिति क्या है और डा० ग्राहम के प्रतिवेदन की किन बातों को हमने अस्वीकार किया है ।

मैं आपको बता चुका हूं कि पहली बात यह घोषणा करने की है कि हम अच्छे पड़ोसी बन कर रहें । इसे अस्वीकार करने की कोई बात ही नहीं है । मेरा कहना है कि अक्टूबर, १९४७ से ही इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया गया है । हमने इस की घोषणा की थी लेकिन पाकिस्तान ने फिर भी कोई घोषणा नहीं की है । वास्तव में, हमारा सब से बड़ा तर्क तो यह है कि १९४८ के संकल्प के प्रथम भाग को पाकिस्तान ने कार्यान्वित ही नहीं किया ।

दूसरी बात युद्ध विराम रेखा के सम्बन्ध में है । उसे अस्वीकार करने की कोई बात ही नहीं है ।

तीसरी बात पाकिस्तानी फौजों को हटाने के बारे में है । यह हमारा काम नहीं है । हम तो चाहते ही हैं कि पाकिस्तान अपनी फौजें हटा ले । हम इस बात को अस्वीकार नहीं करते कि पाकिस्तान अपनी फौजें हटा ले ।

चौथी बात थी पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र संघ की फौजों को रखने की । मैं बता चुका हूं कि हमसे इससे कोई मतलब नहीं ; पाकिस्तान इस बात पर सहमत हो या न हो । यदि हमारी राय मांगी जायेगी तो हम दे सकते हैं ।

अन्त में, दोनों प्रधान मन्त्रियों के मिलने की बात थी । यदि मुझ से राय ली जाये तो मैं कहूंगा कि दोनों प्रधान मंत्रियों की बैठक होनी चाहिये । पर बैठक तभी हो सकती है जब वातावरण शान्त हो । अन्यथा बैठक से अधिक लाभ होने की आशा नहीं । फिर भी मैं तो सभी स्थितियों में मिलने को तैयार हूं । लेकिन मैं बता चुका हूं कि जैसा सुझाव दिया गया है कि हम डा० ग्राहम के सभापतित्व में बैठकर बातचीत करें, यह तरीका मुझे ठीक नहीं लगता ।

अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं वैदेशिक कार्य मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में भी दो शब्द कहना चाहता हूं । भूतकाल में इन वादविवादों के अवसर पर और कभी कभी प्रश्नों के अवसर पर भी अनेक बातें कही जाती रही हैं ; आलोचनायें की जाती रही हैं और हमने उन आलोचनाओं से हमेशा लाभ उठाया है और उनका स्वागत किया है । हम आलोचनाओं से डरते नहीं ; हम उनका स्वागत करते हैं पर मैं एक बात कहना चाहता हूं ।

कभी कभी लोग ऐसी बात करते हैं जिनमें परेशानी तो काफी उठानी पड़ती है पर लाभ कुछ भी नहीं निकलता । उदाहरण के लिये, २ या ३ वर्ष के प्रयत्न और परिश्रम के बाद हमने भारतीय वैदेशिक सेवा 'ख' का निर्माण किया । इसमें बहुत परिश्रम करना पड़ा ; लोक सेवा आयोग से परामर्श करना पड़ा और चुनाव समितियां आदि बनानी पड़ीं । मुझे ठीक ठीक याद नहीं पर शायद ७,००० या ८,००० व्यक्तियों ने आवेदन-पत्र दिये थे । हमारे पास धड़ाधड़ शिकायतें आती हैं कि अमुक-अमुक व्यक्ति अनुचित रूप से चुने गये हैं और अमुक-अमुक व्यक्तियों को अनुचित रूप से छोड़ा गया है । एक मंत्री की हैसियत से मेरे लिये यह सभव नहीं है कि मैं ७,००० आवेदन-पत्रों पर विचार कर सकूं । एक निष्पक्ष समिति ने उन पर विचार किया है ।

अधिकांश आवेदन-पत्र ऐसे लोगों के थे जो सेवा में थे ; उन में से कुछ को ले लिया गया है और कुछ अपनी जगहों पर ही रहे। मैं समझता हूं कि कुछ ऐसे व्यक्ति जिन्हें नहीं लिया गया है सदस्यों के पास जाकर शिकायतें करते हैं। मेरे पास ३, ४ और ५ पृष्ठों के लम्बे चौड़े पत्र आते हैं। मैं उनका परीक्षण करता हूं और उनका उत्तर देता हूं लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि इस प्रकार के मामलों में, जब हम एक निश्चित प्रक्रिया का अनुसरण करते आ रहे हैं, शतप्रतिशत ठीक निर्णय करना संभव नहीं है। शतप्रतिशत ठीक निर्णय की गारन्टी कोई नहीं ले सकता। हमें एक निश्चित प्रक्रिया निर्धारित कर देते हैं जिसमें व्यक्ति विशेष को बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया जाता था बहुत ही कम महत्व दिया जाता है और इस प्रक्रिया को कार्यान्वित करने में यदि कोई स्पष्ट गलती होती है तो उसे ठीक कर दिया जाता है। पर हमारे लिये यह संभव नहीं है कि इन ६,००० या ७,००० व्यक्तियों के मामलों को बराबर देखते रहें, सिर्फ इसलिये कि वे इधर-उधर कुछ शिकायतें करते फिरते हैं कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ है।

वर्ष १९५८-५९ के लिये वैदेशिक कार्य मंत्रालय की अनुदानों की यह मांगें प्रस्तुत की गईं :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
२२.	आदिम जाति क्षेत्र	७,३६,०७,०००
२३.	नागा पहाड़ियां—त्वेनसांग क्षेत्र	३,३४,१९,०००
२४.	वैदेशिक-कार्य	८,०५,५७,०००
२५.	पाण्डिचेरी राज्य	२,७३,९७,०००
२६.	वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के अधीन विविध व्यय	३,७५,०००
११०.	वैदेशिक-कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय	४२,५७,०००

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता मध्य) : हम जानते हैं कि वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के अधिकारी बढ़े कार्य-क्षम हैं। वे नेफा, नागा पहाड़ियों और त्वेनसांग जैसे क्षेत्रों में बड़ा सराहनीय कार्य कर रहे हैं।

प्रधान मंत्री ने पाकिस्तान से हमारे सम्बन्धों के बारे में परस्पर सहकारिता के दृष्टिकोण पर जोर दिया है। यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि प्रधान मंत्री ने यह बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दिया है कि दोनों देश एक दूसरे पर निर्भर करते हैं और परस्पर वैर की नीति अपनाने से दोनों को ही हानि होगी।

अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में, अब शान्ति की शक्तियां पहले से कहीं अधिक दृढ़ तो हो गई हैं, लेकिन साम्राज्यवाद की चालबाजियां अभी पूरी तौर से पराजित नहीं की जा सकी हैं। इसलिये, भारत को संसार में शान्ति बनाये रखने के अपने महत्वपूर्ण कार्य को जारी रखना चाहिये। सभी जानते हैं कि हम मूलतः प्रधान मंत्री की वैदेशिक-कार्य नीति का समर्थन करते हैं। हम केवल यही चाहते हैं कि उसे और अधिक संगत तथा प्रभावशाली बनाया जाये।

†मूल अंग्रेजी में